

मैनुअल-8

निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1	किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये ग्रामीण विकास विभाग में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? (सचिवालय मैनुअल और बिजीनेस मैनुअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है।)	-	1. आयुक्त एवं सचिव/सचिव के द्वारा 2. आयुक्त एवं सचिव/सचिव द्वारा विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से।
9.2	किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या हैं अथवा निर्णय लेने के लिये किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है ?	-	उपर्युक्त रीति से।
9.3	लिये गये निर्णय को जनता तक पहुँचाने के लिये क्या व्यवस्था है ?	-	गजट में प्रकाशन/समाचार पत्र के/सूचना पटल के माध्यम से/वेबसाइट के माध्यम से।
9.4	विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की सम्पुष्टि निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है ?	-	आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागीय मंत्री/मुख्यमंत्री।
9.5	अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी।	-	आयुक्त एवं सचिव/सचिव
9.6	मुख्य विषय जिस पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।	-	

क्र०सं०	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	
निर्णय लेने की प्रक्रिया	
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी की सम्पर्क सूचना	
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	